POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनाकं 10-10-2024

1.थाना साइबर क्राइम नोएडा पुलिस द्वारा, वादी को डिजिटल अरेस्ट कर मनी लांड्रिग के केस का भय दिखा कर 52 लाख 50 हजार रुपए की धोखाधड़ी/ ठगी करने वाला एक शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10-10-2024 को **थाना साइबर क्राइम नोएडा** पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये डिजिटल अरेस्ट कर 52 लाख 50 हजार की धोखाधड़ी/ठगी करने वाला अभियुक्त जमुना प्रसाद रावत को पटा चौराहे के पास हाथरस रोड थाना मुरसान जिला हाथरस से **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा दिनांक 29/8/2024 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें वादी के साथ अज्ञात अपराधी द्वारा ट्राई का कर्मचारी बनकर उसके मोबाईल एवं आइडी का प्रयोग मनी लांड्रिंग में किए जाने जिसकी जाँच साइबर क्राइम मुंबई द्वारा किए जाने का भय दिखाया गया। साइबर अपराधी द्वारा वादी को बताया गया कि इस केस की सुनवाई मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है जिस पर वादी को स्काई ऐप डाउनलोड कराकर वीडियो काल करके डिजिटल कस्टडी में लिया गया तथा वादी के रुपयों की जाँच आरबीआई द्वारा किए जाने की बात बताकर उससे आटीजीएस/आइएमपीएस आदि माध्यम से 52 लाख 50 हजार रुपए की धनराशि जाँच के नाम पर फर्जी बैंक खाते में जमा कराई गयी। जिसके लिए वादी द्वारा कैश व लोन भी लिया गया। साइबर अपराधियों द्वारा पैसा जिस खाते में ट्रांसफर कराया गया उस खाते को आरबीआई का एसएसए (सेक्रेट सुपरविजन अकाउंट) खाता बताया गया। विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 336(3), 340(2) बीएनस की बढ़ोत्तरी की गयी व दिनाँक 10/10/24 को 01 अभियुक्त जमुना प्रसाद रावत को जिला हाथरस से **गिरफ्तार** किया गया।

पूँछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह फर्जी बैंक खाते तैयार कराकर अपने साथी हाथरस निवासी भोले को किराये पर देता था। अभियुक्त के बैंक खाते में वादी मुकदमा के खाते से 02 लाख रुपए आए है। इस तरह धोखाधड़ी की धनराशि प्राप्त कर अभियुक्त द्वारा अनुचित लाभ कमाया गया।

उपरोक्त अभियोग में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 02 लाख 59 हजार रुपए फ्रीज़ काराये गए। जिनको मा0 न्यायालय के आदेश से वादी को वापस कराए जाने का प्रयास किया जा रहा।

अभियुक्त का विवरण--

1. जमुना प्रसाद रावत पुत्र मदन लाल निवासी ग्राम कोरना चमरुआ थाना मुरसान जिला हाथरस उम्र करीब 40 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1- मु0अ0सं0- 433/17 धारा 138 बी भारतीय विधयुत अधिनियम थाना मुरसान जिला हाथरस।
2- मु0अ0सं0- 154/2024 धारा 323/325/452/504/506 आईपीसी थाना मुरसान जिला हाथरस।

अभियुक्त जमुना प्रसाद रावत द्वारा अपराध में प्रयोग किए गए बैंक खाते के विरुद्ध एनसीआरबी पोर्टल पर 28 भिन्न भिन्न थानों /राज्यों में शिकायत दर्ज हैं जिनकी जाँच करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही।

नोट :- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु –-

1- डिजिटल अरेस्ट- पुलिस किसी को भी फोन काल पर डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है।
2- मा0 सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ऐसे प्रकरण में फोन काल के माध्यम से सुनवाई नहीं की जाती है।
3- आरबीआई या किसी अन्य संस्था द्वारा फिजिकल मनी का आपके खाते से सत्यापन नहीं किया जाता है।
4- ऐसा कोई सरकारी बैंक खाता या आरबीआई का SSA (Secret supervision account) खाता नहीं है जिसमें आपसे पैसे ट्रांसफर कराकर उस पैसे की जाँच की जाती हो।
5- इस तरह से सीबीआई अधिकारी, साइबर अधिकारी, आरबीआई या किसी अन्य संस्था का अधिकारी बनकर आपके पास फोन काल/ इंटरनेट skype/ zoom/ विडियो काल आती है और जाँच के नाम पर पैसे को ट्रांसफर किए जाने हेतु कहा जाता है या मनीलांड्रिग के केस का भय दिखाया जाता है तो तत्काल अपने निकटवर्ती थाना से संपर्क करें। तथा साइबर हेल्प लाईन नंबर 1930 पर काल करें www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत तत्काल दर्ज करायें।

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा फायरिंग कर लोगो में दहशत फैलाने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.10.2024 को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा दो वांछित व्यक्ति 1.अमन जयसवाल पुत्र बी.के. जयसवाल 2.चिराग भाटी पुत्र स्वं0 सुनील भाटी को थाना क्षेत्र के मकोड़ा गोल चक्कर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस, एक तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि नं0 यूपी 16 ई.डी. 3615 बरामद की गई है।

घटना का विवरण-- उक्त दोनो व्यक्ति दिनांक 30.09.2024 को ग्राम पाली में मोटरसाइकिल रजि0 नम्बर यूपी 16 ई.डी. 3615 से घूम रहे थे। बार-बार चक्कर लगाने से मना करने को लेकर उक्त दोनो अभियुक्तों द्वारा ग्राम पाली में दहशत फैलाने के उद्देश्य से वादी के घर पर पिस्टल से फायरिंग करके भाग गये थे। थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका।

अभियुक्तों का विवरण--

1. अमन जयसवाल पुत्र बी.के. जयसवाल निवासी ग्राम कोटला, थाना पांडवनगर, दिल्ली पूर्वी उम्र 23 वर्ष।
2. चिराग भाटी पुत्र स्वं0 सुनील भाटी निवासी ग्राम कोटला, थाना पांडवनगर, पूर्वी दिल्ली उम्र 20 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 558/2024 धारा 125/351(3)/333/109/3(5) बीएनएस व धारा 9(i)(a)(i)/25(2)/27 आर्म्स एक्ट
2. मु0अ0सं0 593/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1- 01 पिस्टल .32 बोर मय 02 जिंदा कारतूस
2- 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस
3- घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार स्पोर्टस नम्बर यूपी 16 ई.डी. 3615